न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–शिवपुरी R 1052-III-14

श्रीमती जनको बाई पुत्री श्री गजुआ खंगार, पत्नी स्व. श्री किस्सी निवासी ग्राम मुंगावली, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.) —— आवेदिका

विरूद्ध

1. बालकिशन पुत्र श्री रतना खंगार निवासी ग्राम बढौरा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी म.प्र.
2. रणवीरसिंह पुत्र भोगीलाल नाबालिग द्वारा सरपरस्त पिता श्री भोगीलाल खंगार निवासी ग्राम श्योपुरा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

—— अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, करैरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 37/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.12.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है कि –

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम श्योपुरा में स्थित भूमि सर्वे कमांक 186, 187 मिन, 189 मिन, 191 मिन,192, 385, 386, 387 कुल किता 8, कुल रकवा 5.20 हैक्टेयर के संबंध में पूर्व में रणवीर सिंह पुत्र श्री भोगीलाल खंगार द्वारा बालकिशन एवं अन्य के विरूद्ध नामान्तरण आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की थी, जो प्रकरण कमांक 83/11–12 पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 28.01.2012 से स्वीकार की जाकर, प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान कर वसीयतग्रहिताओं को सुना जाकर नामान्तरण आदेश पारित किया जाये।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1052/III/2014 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
23.4.2014	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 37/12–13 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24–12–14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदिका के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने बताया कि ग्राम श्योपुरा की भूमि कुल किता 8 कुल रकवा 5–20 हैक्टर पर किये गये नामान्तरण के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील कमांक 83/11–12 में हुये आदेश दिनांक 28–1–12 से तहसील का नामान्तरण आदेश निरस्त हुआ एंव प्रकरण सुनवाई के लिये रिमान्ड किया गया, किन्तु बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश दिनांक 5–12–12 पारित कर दिया गया और जब इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील कमांक 37/12–13 प्रस्तुत की, तब अपील में आपत्ति की गई कि वादोक्त भूमि के संबंध में स्वत्व संबंधी व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित है इसलिये राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही व्यवहार वाद के निराकरण तक रोकी जावे, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने आपत्ति पर न्यायिक दृष्टिकोण से विचार किये बिना आपत्ति निरस्त करने में त्रृटि की है इसलिये निगरानी सुनवाई में ली जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख मंगाया जावे एंव अनावेदकों को सूचना जारी कराई जावे।	

3/ आवेदिका के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु यह है कि व्यवहार वाद प्रचलित होने के आधार पर की गई आपत्ति पर से क्या राजस्व न्यायालय को नामान्तरण कार्यवाही रोक देना चाहिये ?

1. मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 एंव 110 – अभिलेख में नामान्तरण कार्यवाही का स्वरूप – संक्षिप्त प्रकार की कार्यवाही है। – केवल अभिलेख का सुद्वीकरण है – किसी Title का निश्चायक प्रमाण नहीं है।

2. मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 – नामान्तरण की कार्यवाही के दौरान यदि कोई पक्षकार सिविल वाद प्रस्तुत कर दे तब राजस्व अधिकारी अपनी कार्यवाही स्थगित नहीं करेगा, वरन् उसका विनिश्चय कर देगा। सिविल वाद के लम्बन पर नामान्तरण कार्यवाही रोकी नहीं जा सकती। यदि सिविल न्यायालय रोक का आदेश दे देवे – नामान्तरण कार्यवाही रोक दी जावेगी।

आवेदिका व्दारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष व्यवहार न्यायालय से रोक का आदेश प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण आवेदिका व्दारा व्यवहार वाद प्रचलित होने पर कार्यवाही रोक देने संबधी की गई आपत्ति को अधीनस्थ न्यायालय ने अमान्य करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने के कारण निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर